माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2021 को सम्पन्न हुई चराई सलाहकार पुनर्वलोकन समिति की 47वीं बैठक की कार्यवाही।

चराई सलाहकार पुनर्वलोकन समिति की 47वीं बैठक माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2021 को समिति कक्ष, आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम समिति के सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का बैठक में पधारने के लिये स्वागत किया गया तथा उन्हें विषय पर प्रचलित दिशानिर्देशों आदि से संक्षेप में अवगत करवाया गया।

तदोपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से उपस्थित सदस्यों के परिचय उपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई। चर्चा आरम्भ करते हुए प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ), हिमाचल प्रदेश द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्हें समिति के कार्यक्षेत्र एवं प्रचलित चराई नीति आदि के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया।

समिति को अवगत करवाया गया कि दिनांक 24.08.2017 को सम्पन्न हुई पिछली बैठक में सभी मदों को चर्चा उपरान्त समाप्त कर दिया गया था। अतः सभी सदस्यों से नये मुद्दे/मदें प्रस्तुत करने के लिये आग्रह किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

मद संख्या–47(1) चरान परमिटों की नवीनीकरण अवधि को बढ़ानाः

श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में चरान परमिट को हर 3 साल में रिन्यू करने का प्रावधान है जिसके कारण पशुपालकों को इसे रिन्यू करवाने के लिये बार–बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अतः उन्होंने इस समुदाय को सुविधा प्रदान करने के लिये परमिट नवीनीकरण की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का सुझाव दिया। प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सुझााव से सहमति व्यक्त करते हुए परमिट नवीनीकरण अवधि को 5 साल तक बढ़ाने पर बल दिया गया।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चरान परमिटों के नवीनीकरण की वर्तमान 3 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष किया जाये तथा निर्देश दिया गया कि तदानुसार मामला सरकार को भेजा जाये।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

मद संख्या–47(2) नये चरान परमिट जारी करना व पुराने रद्द परमिटों का नवीनीकरणः

श्री इन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रांझा राम द्वारा नये चरान परमिट जारी करने की मांग की गई, जबकि श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र स्व0 श्री सोरमा राम द्वारा बहुत पुराने एवं रद्द हो चुके चरान परमिटों को रिन्यू करने की मांग की गई।

निर्णयः इस मद पर माननीय अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि इस मुद्दे पर अलग से विचार किया जायेगा।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

135

मद संख्या–47(3) कई वर्षों से बन्द पड़े जंगलों को चरान के लिये पुनः खोलनाः

श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा इस मुद्दे को उठाते हुये बताया गया कि प्रदेश में बहुत से वन क्षेत्रों को कई वर्षों से पौधारोपण के लिये बन्द किया गया है जिनमें अभी तक चरान की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिस कारण भेड़पालकों को चरान के लिये पर्याप्त क्षेत्र नहीं मिल पाते। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि कई वर्षों से बन्द पड़े जंगलों को चरान के लिये पुनः खोल दिया जाये ताकि पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा चरान क्षेत्र उपलब्ध हो सकें।

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जो पौधारोपण क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं उन्हें चरान के लिये खोल दिया जाये। माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0 प्र0 द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायें।

{कार्रवाई द्वारा–मु0 अ0 (वित्त)}

मद संख्या–47(4) रास्तों व पुराने डेरों से अतिक्रमण हटानाः

श्री राजपाल द्वारा मांग की गई कि लाहडू में पुराने डेरों के पास लोगों ने जो अतिक्रमण किया है उसे खाली करवाया जाये। श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा चरागाहों व रास्तों में अतिक्रमण के मामलों को सुलझाने के लिये एक संयुक्त समिति बनाने का सुझाव दिया गया।

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रास्तों व पुराने डेरों से अतिक्रमण, यदि कोई हो, हटाने के लिये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाये। माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0 प्र0 द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायें।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

मद संख्या–47(5) चरागाह क्षेत्रों का विकासः

श्री गुरमुख सिंह सुपुत्र श्री सरन दास, श्री पन्ने लाल व श्री कबीर सिंह कपूर द्वारा सुझाव दिया गया कि चरागाहों में भेड़–बकरियों द्वारा खाई जाने वाली गरुना आदि झाड़ियों को बढ़ावा दिया जाये। इसके अतिरिक्त चरागाह क्षेत्रों में से लैंटाना हटाकर चारा प्रजाति की झाड़ियों/पेड़ों को बढ़ावा दिया जाये ताकि भेड़–बकरियों के लिये पर्याप्त चारा सुगमता से उपलब्ध हो सके।

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चरागाहों तथा अधिकतर प्रयोग होने वाले आवागमन के रास्तों के साथ लगते क्षेत्रों में भेड़–बकरियों द्वारा खाई जाने वाली झाड़ियों को बढ़ावा दिया जाये। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में से लैंटाना, यदि हो, को प्राथमिकता पर हटाकर चारा प्रजाति की झाड़ियों/पेड़ों को बढ़ावा दिया जाये। माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0 प्र0 द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायें।

{कार्रवाई द्वारा–मु0 अ0 (वित्त)}

मद संख्या–47(6) रास्तों की मुरम्मतः

श्री संतोष कुमार सपुत्र श्री महालु राम द्वारा सपैडू से सतचरी मार्ग की मुरम्मत करने की मांग रखी गई। इसी तरह श्री कबीर सिंह कपूर द्वारा चामुण्डा से तारणू रास्ते की मुरम्मत करने का अनुरोध किया गया। श्री इन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रांझा राम द्वारा काली जोत ग्लेशियर में अस्थाई रास्ता बनाने की मांग की गई।

निर्णयः समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया किः–

1. **सपैडू से सतचरी मार्ग की मुरम्मत की जाये।**
2. **चामुण्डा से तारणु मार्ग की मुरम्मत की जाये।**
3. **काली जोत ग्लेशियर में अस्थाई रास्ता बनाने की सम्भावना देखी जाये।**

{कार्रवाई द्वारा–मु0अ0 चम्बा एवं धर्मशाला}

मद संख्या–47(7) डिपिंग टैंकों/सरोवरों एवं अस्थाई शैडों का निर्माणः

श्री गुरमुख सिंह सुपुत्र श्री सरन दास द्वारा बैजनाथ के जांसू में वन सरोवर बनाने का आग्रह किया गया। श्री रमेश कौशल, श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री जरम सिंह, श्री महेन्दर ठाकुर, श्री संतोष कुमार सपुत्र श्री महालु द्वारा नेटरी, पनहाला, राजौर, चौरिया, रेहाड़, लोहारड़ी, राजगुन्धा (छोटा भंगाल), बरेट व सपैडू में भेड़ों को नहलाने के लिये डिपिंग टैंक बनाने की मांग की गई। श्री महेन्दर ठाकुर तथा श्री राजपाल द्वारा भेड़ पालकों के ठहरने के लिये राजगुन्धा, छोटा भंगाल एवं लाहडू में अस्थाई शैड बनाने का अनुरोध किया गया। श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा भी भेड़ों को नहलाने के लिये डिपिंग टैंक बनाने पर बल दिया गया।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि चरवाहों द्वारा अधिकतर प्रयोग किये जाने वाले आवागमन के रास्तों पर जिला चम्बा व कांगड़ा में तीन–तीन (कुल छः) ऐसे कैम्प स्थल चिन्हित किये जायें जहां प्राणियों एवं पशुओं के लिये पीने का पानी उपलब्ध हो। इनमें से चम्बा व कांगड़ा जिला में एक–एक स्थल पर एकीकृत विकास परियोजना (IDP), सोलन तथा शेष दो–दो स्थलों पर वन विभाग द्वारा डिपिंग टैंक/सरोवर व अस्थाई शैड की सुविधा आगामी तीन महीनों में विकसित की जाये। पशु पालन विभाग द्वारा इन चिन्हित स्थलों पर डिपिंग टैंकों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये तथा पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिये टीकाकरण आदि की आवश्यक सुविधायें प्रदान करवाई जायें।

{कार्रवाई द्वारा–मु0प0नि0, ए0वि0प0, सोलन/मु0अ0 चम्बा व धर्मशाला/पशु पालन विभाग}

मद संख्या–47(8) चरागाह मार्गों को डिजिटाईज करनाः

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चरागाह रुटों को डिजिटाईज करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) हिमाचल प्रदेश द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि प्रदेश में कुल 120 चरागाह रुट हैं जिनमें से डिजिटाईज करने के लिये 28 रुट चिन्हित करने के उपरान्त 8 रुट डिजिटाईज किये जा चुके हैं। शेष 20 रुटों को डिजिटाईज करने के प्रयास जारी हैं। समिति के अध्यक्ष माननीय वन मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया कि चरागाह रुट डिजिटाईज होने चाहिये।

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में चरवाहों द्वारा अधिक प्रयोग किये जाने वाले लगभग 50 चरागाह रुटों की पहचान करके इन्हें डिजिटाईज करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।

{कार्रवाई द्वारा– मु0अ0 (आई टी)}

मद संख्या–47(9) मुआवजा राशि को बढ़ानाः

श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा इस मुद्दे को उठाते हुये जंगली जानवरों के आक्रमणों में मारे जाने वाले इन्सानों व पशुओं पर मिलने वाली मुआवजा राशि को मानवीय आधार पर संशोधित करके बढ़ाये जाने पर बल दिया।

137

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये जंगली जानवरों के आक्रमणों में मारे जाने वाले इन्सानों व पशुओं पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने के लिये समुचित प्रस्ताव तैयार करके प्रदेश सरकार को भेजा जाये।

{कार्रवाई द्वारा– प्र0मु0अ0 (व0प्रा0) हि0प्र0,}

मद संख्या–47(10) पशुपालकों द्वारा चरान परमिटों को अवैध रुप से दूसरे व्यक्तियों को बेचनाः

श्री गुरमुख सिंह सुपुत्र श्री सरन दास द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि जांस में गुज्जरों ने अपने परमिट दूसरे व्यक्तियों को बेच दिये हैं जो 100 से 200 भैंसे चरान हेतू धारों पर लाते हैं तथा अनुरोध किया गया कि ऐसे पशुपालकों पर कार्रवाई की जाये। श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा भी ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने पर बल किया।

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चरान परमिट की मौका पर जांच की जाये ताकि इन्हें अवैध रुप से दूसरे व्यक्तियों को बेचने वालों की पहचान की जा सके। तदोपरान्त यदि कोई दोषि पाया जाता है तो उसका चरान परमिट रद्द करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाये। माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0 प्र0 द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायें।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

मद संख्या–47(11) चरान परमिट में पशुओं की संख्या को बढाना।

श्री कबीर सिंह कपूर द्वारा बताया गया कि कई लोगों के चरान परमिट में पशुओं की संख्या 50–100 तक होती है परन्तु वे वास्तव में 250–300 पशु धारों में चरान के लिए लाते हैं, अतः पशुओं की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाये ताकि परमिट में पशुओं की वास्तविक संख्या दर्शायी जा सके। श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा भी पशुओं की संख्या बढ़ाने पर विचार करने पर बल दिया गया।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष द्वारा इस मुद्दे पर समिति की आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

मद संख्या–47(12) आवागमन के दौरान रास्ते में पशु चोरी होना।

श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री जरम सिंह द्वारा समिति को सूचित किया गया कि आवागमन के दौरान रास्ते में उनके पशु चोरी होने की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अतः सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिये ठोस व कारगर कदम उठाये जायें। प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) हिमाचल प्रदेश द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि यह मामला वन विभाग से सम्बद्व न होकर गृह विभाग से सम्बन्धित है।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि वे इस मुद्दे पर गृह विभाग से स्वयं वार्तालाप करेंगे तथा निर्देश दिया गया कि इस बारे में सम्बन्धित विभाग को समुचित कार्रवाई करने के लिये आग्रह पत्र भेजा जाये।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

मद संख्या–47(13) चरान परमिटों को डिजिटाईज करना।

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चरान परमिटों को डिजिटाईज करने पर बल दिया गया ताकि पशुपालकों को इनके नवीनीकरण के लिये कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, हि0 प्र0 वूल फैडरेशन द्वारा भी ऐसी व्यवस्था करने पर बल दिया गया जिससे भरमौर व होली आदि दूर–दराज क्षेत्रों के पशुपालकों को अपने परमिट पालमपुर अथवा दूसरे सम्बन्धित स्थानों पर ही रिन्यू करने की सुविधा मिल सके।

निर्णयः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चरान परमिटों को डिजिटाईज करने के लिये एक वैब बेस्ड एप्लीकेशन (Web Based Application) **बनाई जाये जिसमें परमिटों को** डिजिटाईज करने व **रिन्यू करने की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त एक ऐसी मोवाईल–ऐप भी बनाई जाये जिससे पशुपालकों को संकट के समय टोल–फ्री कॉल करने की सुविधा मिल सके ताकि कम से कम समय में उन तक मदद पहुंचाई जा सके।**

{कार्रवाई द्वारा–मु0अ0 (आई टी)}

मद संख्या–47(14) श्री भाग चन्द सुपुत्र श्री देबू राम गांव व डाकघर पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 के चरान परमिट चरान परमिट के हस्तांतरण का मामला।

श्री सूरत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम से प्राप्त श्री भाग चन्द सुपुत्र श्री देबू राम गांव व डाकघर पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 के वन मण्डल सोलन में जारी चरान परमिट नम्बर 0009187 को श्री निहाल सिंह सुपुत्र श्री सीता राम (मोहतमिन) गांव व डाकघर कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 के नाम हस्तांतरित करने सम्बन्धी मामला समिति के समक्ष विचार हेतू रखा गया। इस मामले में यह सूचित किया गया कि उक्त श्री निहाल सिंह महेश्वर देवता भावा वैली परगना प्रमुख के मोहतमिन हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के खून के रिश्ते से नहीं आता। चूंकि यह देवता अल्प (Minor) में आता है, उक्त परगना की तीन पंचायतों के समुदायों की धार्मिक भावनाओं के मध्यनजर इस मामले में एक बार छूट प्रदान करने की मांग की गई।

इस सम्बन्ध में समिति को अवगत करवाया गया कि प्रचलित चराई नीति के अनुसार चरान परमिट केवल परमिट धारकों के उतराधिकारियों के नाम पर ही हस्तांतरित किया जा सकता है।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0मु0अ0, हि0प्र0}

अन्त में डा0 रेनू सैजल, वन मण्डलाधिकारी (नीति एवं विधि) कार्यालय प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) हि0प्र0 द्वारा माननीय अध्यक्ष तथा सभी सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यावाद किया गया। बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

***

139

माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई चराई सलाहकार पुर्नवलोकन समिति की 47बीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः–

सरकारी सदस्य	
1	श्री रजनीश, प्रधान सचिव (वन) हि0प्र0, सरकार
2	श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, वूल फैडरेशन, हि0प्र0
3	डा0 सविता, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (व0ब0प्र0) हि0 प्र0
4	श्रीमति अर्चना शर्मा प्रधान मुख्य अरण्यपाल (व0प्रा0) हि0 प्र0
5	श्री अनिल जोशी, मुख्य अरण्यपाल, कुल्लू
6	श्री डी0 आर0 कौशल, मुख्य अरण्यपाल, धर्मशाला
7	श्री एस0 डी0 शर्मा, मुख्य अरण्यपाल, शिमला
8	श्रीमति उपासना पटियाल, मुख्य अरण्यपाल, (व0प्रा0) धर्मशाला
9	श्रीमति सरिता अरण्यपाल, नाहन
10	श्री ई0 विक्रम अरण्यपाल, सोलन
11	श्री सतपाल धीमान, संयुक्त सचिव (वन) हि0प्र0, सरकार
12	श्री राजीव कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्धन), शिमला – सदस्य सचिव
गैर–सरकारी सदस्य	
1	श्री राज कुमार सुपुत्र श्री धनी राम निवासी डाकघर बाड़ी, तहसील सिहुंता, जिला चम्बा, हि0प्र0
2	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री सरन सिंह निवासी गांव व डाकघर गन्दरोंग, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हि0प्र0
3	श्री नेक राम निवासी गांव मंजगरां, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4	श्री रमेश कौशल निवासी गांव कयाली, डाकघर गहीं लगोड़, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
5	श्री देव राज निवासी गांव व डाकघर बाघनी, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
6	श्री कबीर सिंह कपुर निवासी गांव व डाकघर चाहड़ी, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
7	श्री ओम प्रकाश राणा, मार्फत राणा फोटो स्टूडियो, पुराना बस स्टैंड, नगरोटा बगवां, उप–तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
8	श्री राजपाल निवासी गांव हार, डाकघर खुबाड़ा, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
9	श्री पन्ने लाल निवासी गांव पाली, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी, हि0प्र0
10	श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री फोजा राम निवासी गांव गोसन, डाकघर व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हि0प्र0
11	श्री इन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रांझा राम निवासी गांव व डाकघर खन्नी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हि0प्र0
12	श्री चरणजीत सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव व डाकघर होली, जिला चम्बा, हि0प्र0
13	श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र स्व0 श्री सोरमा राम निवासी गांव कुनर, डाकघर कुनर, तहसील घरवाला, जिला चम्बा, हि0प्र0
14	श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री मचलु राम निवासी गांव गुगाह, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0
15	श्री विजय कपुर निवासी गांव तारस, डाकघर पठार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
16	श्री गुरमुख सिंह सुपुत्र श्री सरन दास निवासी गांव व डाकघर फतहार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
17	श्री राज कुमार कपुर निवासी गांव व डाकघर बनुरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
18	श्री बंगाली राम निवासी गांव व डाकघर सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

19	श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री मचलु राम निवासी गांव गुगाह, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0
20	श्री संतोष कुमार सपुत्र श्री महालु राम निवासी गांव व डाकघर सपेहडू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
21	श्री संसार चन्द निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
22	श्री महेन्दर ठाकुर निवासी गांव व डाकघर बीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
23	श्री धर्म चन्द मक़र निवासी गांव सीतला कॉक, डाकघर उस्टेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
24	श्री विशन दास निवासी गांव व डाकघर पेखा, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0
25	श्री जय चन्द निवासी गांव दियुच्छी, डाकघर लरोट, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0
26	श्री नरेन्द्र भट्ट सुपुत्र श्री मक्खन लाल निवासी गांव कलुद, डाकघर चचियां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
27	श्री जय किशन सुपुत्र श्री कर्म चन्द निवासी गांव बान्दला, डाकघर नच्छीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
28	श्री मुन्शी राम सुपुत्र श्री चन्दु लाल निवासी गांव डाढ़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
विशेष आमन्त्रित अतिथि	
1	डा0 प्रदीप शर्मा, संयुक्त निदेशक (SLBP) पशुपालन विभाग
2	डा0 विवेक लाम्बा, सहायक निदेशक (CP) पशुपालन विभाग
3	डा0 विक्रम सिंह वशिष्ट, व0 पशुचिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग

***